राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शनिवार, 04 जुलाई 2026

वर्ष 14, अंक 86, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात..03

मुज़फ्फरनगर में बंधुआ मजदूरों के कथित उत्पीड़न...04

अनुच्छेद-26 में ऐसा क्या लिखा है, जो बन गया चंपत राय का कवच न FIR हो रही न, गिरफ्तारी

राम मंदिर मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ स्न्ढ्ढक्र और उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है. हालांकि, इस मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है. ट्रस्ट के सबसे प्रभावशाली शख्स और महासचिव रहे चंपत राय की प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है.फिलहाल, वह अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. यह सवाल लगातार उठाया जा रहा है कि ऐसी क्या वजह है, जिसके चलते चंपत राय के खिलाफ ना ही अब तक एफआईआर दर्ज किया गया है, ना उनकी गिरफ्तारी की गई है. हालांकि, विनय कटियार ने यह जरूर कहा है कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात हुई है. चंपत राय भी गिरफ्तार हो सकते हैं. सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में अनुच्छेद 26 को उनके लिए एक तरह के संवैधानिक कवच के रूप में पेश किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि चंपत राय की गिरफ्तारी ना होने के पीछे यह अनुच्छेद सबसे बड़ी वजह है. लेकिन क्या असल में इस वजह से ऐसा हो रहा है, ये जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 26 क्या है और यह किस तरह का अधिकार देता है. ट्रस्ट को लेकर ये जरूरी बातें भी जान अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों-धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने का अधिकार देता है. अनुच्छेद 26 ट्रस्ट से जुड़े मामलों में भी किसी व्यक्ति विशेष को अपराधिक मामले में छूट या संरक्षण नहीं देता है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक भी ट्रस्ट को राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता है.

क्या-क्या अधिकार देता है अनुच्छेद 26?

भारतीय संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 26 धार्मिक संप्रदायों और धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामले के प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने का अधिकार देता है. साथ ही ट्रस्ट को अपने लिए संपत्ति अर्जित करने से लेकर उसके प्रबंधन का भी हक देता है. अनुच्छेद 26 को 4 भागों में विभाजित किया गया है. अनुच्छेद 26(a)- यह धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थान/ ट्रस्ट स्थापित करने उसे चलाने का अधिकार देता है. इसके लिए किसी धार्मिक समूह के लिए सबसे पहले धार्मिक संस्थान बनाना जरूरी है. इसके बाद ही उस समूह को उस संस्थान को चलाने का अधिकार दिया जाएगा. संस्थान चलाने के अधिकार में उसके प्रशासन का अधिकार भी शामिल रहता है.अनुच्छेद 26(b)- यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट को अपने कामकाज के प्रबंधन का अधिकार देता है. राज्य को उनके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. राज्य ट्रस्ट के मामलों में तभी दखल दे सकती है, जब उसके कामकाज से नागरिकों की सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य पर असर न पड़ रहा हो. अनुच्छेद 26(c)- यह ट्रस्ट को चल और अचल संपत्ति रखने और हासिल करने का अधिकार देता है. वह राज्य के कानून के जरिए अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले धार्मिक संप्रदाय की संपत्ति को नियंत्रित कर सकता है. आर्टिकल 26(d)- इसके तहत राज्य धार्मिक संस्था/ ट्रस्ट की संपत्ति के मैनेजमेंट को रेगुलेट कर सकता है. हालांकि, राज्य धार्मिक संस्था से मैनेजमेंट का अधिकार पूरी तरह नहीं छीन सकता है. अनुच्छेद 26 किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कार्रवाई की छूट नहीं देता है? अनुच्छेद 26 में कहीं नहीं जिक्र है कि ट्रस्ट से जुड़े किसी व्यक्ति विशेष को अपराधिक मामले में छूट या संरक्षण दिया जाए. न ही यह किसी को एफआईआर और गिरफ्तारी से बचने के अधिकार देता है. यह अनुच्छेद धार्मिक संस्थाओं को प्रशासनिक और धार्मिक अधिकारों का इस्तेमाल करने की इजाजत देता है. अगर कोई व्यक्ति ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है, किसी अपराध का आरोप बनता है, तो उसके खिलाफ भी भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है.

चंपत राय के लिए यह अनुच्छेद कवच कैसे बना हुआ है?

अब सवाल ये उठता है कि फिर चंपत राय के खिलाफ स्न्ढ्ढक्र और गिरफ्तारी के पीछे अनुच्छेद 26 का क्या रोल है. इसका जवाब अनुच्छेद 26 (b) की परिभाषा में है. दरअसल, यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए ट्रस्ट को अपने कामकाज के प्रबंधन का अधिकार देता है. राज्य को उनके मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में भी चंपत राय के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बन रहा है. ना ही अब तक उनके खिलाफ वित्तीय धोखाधड़ी का कोई सबूत सामने आया है. उनके खिलाफ प्रबंधन में लापरवाही के ही आरोप लग रहा है, जिसपर कार्रवाई करना राज्य और पुलिस के अधिकार क्षेत्र से बाहर है. चंपत राय पर अभी तक कार्रवाई का अधिकार सिर्फ ट्रस्ट के पास है. वह भी जब ट्रस्ट के पास उसके सदस्यों का दो तिहाई बहुमत हो.

1. ट्रस्ट के भीतर कितना प्रशासनिक दखल हो, यह ट्रस्ट खुद तय करेगा. अभी तक ट्रस्ट की सिफारिश पर ही एसआईटी की जांच और एफआईआर दर्ज किए गए हैं. यानी अभी तक जो भी कानूनी एक्शन हुए हैं, वो ट्रस्ट के कहने पर ही हुए हैं.

2. ट्रस्ट कैसे फैसला लेगा, यह भी वो खुद तय करेगा. राम मंदिर का कोई बाईलॉज भी आधिकारिक रूप से नहीं है. एक बार सिर्फ मूर्ति के चयन पर 2 तिहाई की बात सामने आई थी. उसके बाद अंदर की बात नहीं आई.3. साल 2014 में तमिलनाडु वर्सेज सुब्रमण्यम स्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार वित्तीय गड़बड़ी का हवाला देकर मंदिर के प्रबंधन को अस्थाई तौर पर अपने हाथों में ले सकती है, लेकिन बाद में उसे ट्रस्ट को मंदिर वापस सौंपना पड़ेगा.

ट्रस्ट के कंट्रोल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2020 में मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट (1951 एक्ट) के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा अपनी पांच अचल संपत्तियों को बेचने की सहमति देने के मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि स्वायत्तता और लोकतांत्रिक निर्णय लेने के सिद्धांत को कम करके नहीं आंका जा सकता है. कोई भी संस्था जो स्व-शासित है, जैसे ट्रस्ट, उसे राज्य के नियंत्रण के अधीन नहीं किया जा सकता है. जब तक उसके निर्णय अच्छी तरह से सूचित होते हैं, और प्रासंगिक विचारों पर आधारित होते

सुप्रीम कोर्ट ने बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर लगाई रोक, एक दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने दिया था आदेश

दिल्ली सरकार ने निजी बिजली वितरण कंपनियों ((DISCOMs) के खातों की कैग ऑडिट का आदेश दिया था. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने CAG ऑडिट का रास्ता साफ किया था और कंपनियों की कैग ऑडिट के विरोध की याचिका को खारिज कर दिया था. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर रोक लगा दी है. यह पूरा मामला डिस्कॉम पर बकाया करीब 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स (RA) से जुड़ा है.

कोर्ट ने कैग ऑडिट प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कॉम के कैग ऑडिट प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए अंतरिम रोक लगाई है. इसका अर्थ हुआ कि जब तक इस मामले में अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक CAG ऑडिट आगे नहीं बढ़ेगा. इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि क्या निजी बिजली कंपनियों का ऑडिट CAG कर सकता है या नहीं. यह विवाद पहले भी 2015 में अदालतों तक पहुंच चुका है.

दिल्ली सरकार ने कैग ऑडिट का दिया था आदेश

गुरुवार यानी 02 जुलाई को दिल्ली सरकार ने बिजली डिस्कॉम कंपनियों का CAG ऑडिट कराने का आदेश जारी किया था. आदेश के बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG को उन इस मुद्दे पर गहन जांच करनी थी कि कै सेडिस्कॉम पर बकाया करीब 38,500 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी एसेट्स तहत पहुंच गया. लेकिन दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ एक दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. जिन तीन कंपनियों का ऑडिट होना था उनमें बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड (BRPL), बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड (BYPL) और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (TPDDL) शामिल हैं.

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के निर्णय की वैधता पर सवाल

वहीं, इसी से जुड़े DERC(दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन) की अपील पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के निर्णय की वैधता पर सवाल उठता है. इसलिए इसकी जांच आवश्यक है.

DERC ने कहा-सीएजी ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपना वैधानिक ढांचे के विपरीत

याचिका में DERC की तरफ से कहा गया था कि सीएजी को निजी वितरण कंपनियों का ऑडिट की जिम्मेदारी सौंपना वैधानिक ढांचे के विपरीत है. ष्ठश्वस्त्रष्ट ने अपने याचिका में कहा कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को इसके लिए एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करना चाहिए, कंपनियों का कैग ऑडिट सही तरीके से किया जा सके.

पंजाब कांग्रेस में अंदरुनी कलह! नाराजगी के बीच अमित शाह से मिले सांसद रंधावा, कही ये बात

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले वहां की सियासत तेज हो गई है. सत्ता की वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस की ओर से संगठन को लेकर फैसला लेने के बाद अंदरुनी कलह तेज हो गई है. अमरिंदर राजा वडिंग को पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष बनाए रखने के फैसले से खासी नाराजगी है. कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी आलाकमान से खफा बताए जा रहे हैं. इस बीच रंधावा ने आज शुक्रवार को गृह मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया है. हालांकि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गैर राजनीतिक करार दिया. साथ ही दावा किया कि यह बैठक सीमावर्ती राज्य पंजाब में सुरक्षा के हालात और सीमा से जुड़ी चिंताओं को लेकर हुई थी. उन्होंने कहा, 'केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मेरी मुलाकात पूरी तरह से गैर-राजनीतिक थी. इस मुलाकात को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

मुलाकात पहले से ही तय थी: सांसद रंधावा

रंधावा ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से मिलने का समय पहले ही ले रखा था और यह बैठक पंजाब में कानून-व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए की गई थी. उन्होंने कहा, 'मैंने 4 जून 2026 को प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को एक पत्र लिखा था और उसकी एक कॉपी गृह मंत्री को भी भेजी थी. इस पत्र में पंजाब के हालात, खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट जैसे सीमावर्ती जिलों की स्थिति का जिक्र किया गया था. मैंने बिगड़ती कानून-व्यवस्था, पाकिस्तान-समर्थित आतंकवाद, नार्को-टेररिज्म, गैंगस्टरों और राजनेताओं के बीच सांठ-गांठ और पंजाब पुलिस के राजनीतिक इस्तेमाल जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया था. उस शुरुआती पत्र के साथ, मैंने अपने इलाके में सक्रिय कुख्यात गैंगस्टर के बारे में भी जानकारी दी थी. ' उन्होंने आगे कहा, 'इसके बाद 23 जून को मैंने एक और पत्र भेजा, जिसमें बताया गया था कि गुरदासपुर और अन्य इलाकों में किस तरह से गैंगस्टर काम कर रहे हैं. इन पत्रों के आधार पर मुझे आज की बैठक के लिए बुलाया गया, जिसमें हमने मेरे पिछले पत्र के आखिरी पैराग्राफ में बताए गए निष्कर्षों पर चर्चा की. '

पूरे पंजाब में जबरन वसूली और धमकियां

रंधावा ने कहा, 'मैंने बैठक के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), मिलिट्री इंटेलिजेंस (MI), रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (RAW) और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) जैसी केंद्रीय एजेंसियों की मौजूदगी का जिक्र किया. मैंने इस बात पर भी जोर दिया कि आज पूरे पंजाब में जबरन वसूली और धमकियां आम चीजें हो गई हैं. ' 'बैठक के दौरान, उन्होंने माना कि बड़े पैमाने पर जबरन वसूली और धमकियां दी जा रही हैं, और जेलों के अंदर से लगातार मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. मेरा मानना ??है कि अगर भारत सरकार यह मानती है कि मौजूदा स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और पाकिस्तान इसमें सीधे तौर पर दखल दे रहा है, तो वह अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती. '

पूरी ईमानदारी से निभा रहा अपनी ड्यूटी: रंधाना

साथ ही रंधावा ने कांग्रेस के प्रति अपना कमिटमेंट भी दोहराया और कहा कि वह पार्टी की ओर से दी गई अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभा रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं कांग्रेस में एक अहम पद पर हूं और मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा हूं. ' हालांकि संगठन में किए गए फेरबदल को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस आलाकमान के बीच कथित मतभेदों से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए, रंधावा ने इस पर कुछ भी कहने से मना कर दिया और कहा कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए चन्नी खुद सबसे अच्छे व्यक्ति होंगे.

संक्षिप्त ख़बरें

टिन्नू यादव ने गहनों की फोटो-रसीद नहीं दी, SIT ने आरोपों पर की गवाहों से पूछताछ

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में स्न्ढ्ढक्र की जांच और आगे बढ़ गई है.SIT जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब गवाहों से भी पूछताछ कर रही है. ये पूछताछ उन लोगों से भी की जा रही है जिन लोगों ने दान में महंगे गहने दिये थे. 29 अक्टूबर 2025 को आचार्य विनोद मिश्रा ने दोपहर के वक्त लगभग 12:00 बजे के आसपास अपने मुंबई के शिष्यों के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मंदिर में पहुंचे. उन्होंने सबके सामने टिन्नू यादव को ये गहने मंदिर में दिया. टिन्नू यादव ने इसे लिया शिष्यों को और आचार्य विनोद मिश्रा को कहा कि अगले 10 दिनों में आपको एक फोटो भेंट की जाएगी. उन्होंने कहा कि जिस फोटो में आप हमें जो दान दे रहे हैं उसकी तस्वीर होगी और बाकायदा इसकी रसीद भी दी जाएगी, लेकिन अगले 10 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. अब जब चंदा चोरी और तमाम तरह की चीजों की बात हो रही हैं तो आचार्य विनोद मिश्रा दोबारा से ट्रस्ट क्षेत्र पहुंचे और ये जानने की कोशिश की. उन्होंने ये कोशिश सेवक पुरम में की जो उन्होंने चढ़ावा दिया था, या मुंबई के जो उनके शिष्यों ने दिया था उसका क्या हुआ?

गहने नहीं दी गई कोई रसीद

कर सेवक पुरम में जब उन्होंने यह बात पूछी तो इस बात का जवाब देने के लिए वहां पर कोई तैयार नहीं था. उनको वहां पर किसी से मिलने भी नहीं दिया गया और उनको वहां से वापस भेज दिया गया. मुंबई के शिष्यों ने जो गहने बनाए थे वो भगवान के नाप के हिसाब से बनाए थे. ऐसे में टिन्नू यादव ने ये आश्वासन दिया था कि यह गहने बाकायदा भगवान को पहनाए जाएंगे और उसके बाद उसकी तस्वीर ली जाएगी. ये तस्वीर आप लोगों को भेजी जाएगी लेकिन 10 से 15 दिनों बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

राम मंदिर चंदा चोरी पर आरएसएस का पहला बयान, दत्तात्रेय बोले-हिंदू समाज धैर्य रखे, दोषियों को कड़ी सजा मिले

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया और कहा कि इससे राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं. दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया और कहा कि इससे राम भक्तों की भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं. दत्तात्रेय होसबाले ने जारी बयान में कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों रामभक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है.

जो दोषी पाए जाएं, उन्हें कठोर दंड मिले

उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है. जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है. दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मान कर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों रामभक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे. उन्होंने कहा कि वर्तमान भ्रम और असमंजस की स्थिति समाप्त होनी चाहिए. इस दृष्टि से हमारी अपेक्षा है कि सभी आवश्यक पहल मंदिर प्रबंधन और शासन द्वारा गठित विशेष जांच दल करेंगे.

धैर्य और संयम का करें पालन

उन्होंने कहा कि हमारा यह विश्वास है कि समुचित वित्तीय प्रबंधन, सुचारू संचालन हेतु निर्दोष पारदर्शी व्यवस्थाओं एवं शुद्धता और पवित्रता से परिपूर्ण धार्मिकता से ओतप्रोत वातावरण के द्वारा श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास हिंदू समाज की आस्था एवं विश्वास को सुदृढ़ बनाये रखेगा. उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण हिन्दू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें तथा इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का लाभ उठाकर हिन्दू विरोधी, राष्ट्र विरोधी शक्तियों के हिंदू धर्म एवं समाज को बदनाम करने के षड़यंत्रों को विफल करे.

'महाकाल के मंदिर में भी हो रही चंदा चोरी', पूर्व CM दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर एक-एक कर सभी विपक्षी नेताओं के बयान आ रहे हैं. अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं. दरअसल, चंदा चोरी के विरोध में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और सद्बुद्धि यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए. उन्होंने कहा कि 'ये शुद्ध रूप से चोरी है. मेरे वकील ने कहा कि तुमने चंदा दिया है, उसपर केस दायर करो, तुम्हारी आस्था और चंदे की चोरी हुई है. मैं अयोध्या जाकर मुकदमा दायर करूंगा'. दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अपने घर पर बैनर लगा रहा हूं कि चंदा चोर मेरे घर में ना घुसें, आप लोग भी बैनर लगाएं कि मंदिर में चंदा चोरों से सावधान. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 'बीजेपी कहती है कि विश्व हिंदू परिषद हमारा मेंबर नहीं है, नाथूराम गोडसे भी हमारा मेंबर नहीं है. ये करोड़ों रुपये गुरुदक्षिणा के नाम पर लेते हैं, नगदी में काम होता है. इनके यहां ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती'.

'महाकाल के मंदिर में भी चंदा चोरी'

उन्होंने आगे आरोप लगाते हुए कहा, 'जब सुन्दरलाल पटवा मुख्यमंत्री थे, तब महाकाल की जमीन आरएसएस की संस्था को आवंटित कर दी थी. अब वहां उन्होंने भारत माता का मंदिर बना दिया और आरएसएस का गेस्ट हाउस बना लिया. जहां सरस्वती शिशु मंदिर बनाकर रखा था, उसको तोड़कर 100 कमरों का कमर्शियल होटल बना रहे हैं. मंदिर के प्रभारी की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है, मगर कोई बड़ी बात नहीं है. महाकाल के मंदिर में भी चंदा चोरी हो रही हो'.

'रातों-रात बाबरी मस्जिद में रामलला बैठा दिए'

दिग्विजय सिंह ने कहा, 'रामलला के मंदिर की लड़ाई महेंद्र आदित्यनाथ की ओर से 19वीं सदी के आसपास से चली आ रही है. इसकी लड़ाई हनुमानगढ़ के अखाड़ा ने लड़ी, इसके प्रमुख महेंद्र आदित्यनाथ थे. उस समय वहां बीजेपी नहीं थी, मगर जैसे ही देश आजाद हुआ, एक संघी विचारधारा का कलेक्टर था नायक, वहां उसने रातों-रात बाबरी मस्जिद में रामलला बैठा दिए. उसके बाद विवाद चलता रहा, मंदिर में ताला लग गया. कांग्रेस के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह गोरख मठ से प्रभावित थे. उनके प्रभाव से ताला खुल गया, उसके बाद राजीव गांधी ने वहां शिलान्यास कर दिया. तब से चंदा चोरी का सिलसिला शुरू हुआ है'.

बिहार: कोचिंग विवाद में खान सर को 7 जुलाई तक मिली गिरफ्तारी से राहत, सुनवाई स्थगित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिहार में चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी. शुक्रवार को पटना की एक अदालत ने इसस सुनवाई को सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है. इसी बीच उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है. ये मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है. दरअसल, खान सर के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी, आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी. अदालत को खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करनी थी. दोनों, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. शिक्षक रोशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने कहा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आज मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई. अब अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी. खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने भी इसकी पुष्टि की. उन्होंने कहा, खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है.

7 जुलाई को होगी सुनवाई

दोनों वकीलों ने बताया कि खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी अब सात जुलाई को ही सुनवाई होगी. कोर्ट ने पुलिस से कहा था वे इस मामले से जुड़ी अपडेटेड केस डायरी और फैसल खान के पर्सनल बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट जमा करें. कोर्ट के मुताबिक, जरूरी दस्तावेज रिकॉर्ड पर आने के बाद ही अग्रिम जमानत अर्जी पर आगे विचार किया जाएगा. तब तक, खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा मिलती रहेगी. विरोधी गुट के सदस्यों ने आरोप लगाया कि फैसल खान के निजी सुरक्षाकर्मियों ने भीड़ में दहशत फैलाने और उन्हें डराने-धमकाने के लिए गोलियां चलाईं. ये आरोप चल रही जांच का हिस्सा हैं.

अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर

इस घटना के बाद, पटना पुलिस ने फैसल खान, रोशन आनंद, उनके सुरक्षाकर्मियों और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की कोशिश और दंगा करने जैसे आरोपों सहित कई धाराओं के तहत स्न्ढ्ढक्र दर्ज की. पिछले एक महीने में इस मामले की कानूनी कार्यवाही में कई घटनाक्रम हुए हैं. फैसल खान ने पहले 9 जून को कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी. रोशन आनंद को 15 जून को रेगुलर जमानत मिल गई थी. इस मामले में फैसल खान की शिकायत में रोशन आनंद और उनके भाई प्रिंस यादव का नाम भी आरोपियों में शामिल था.

संपादकीय

चंपतराय की मुश्किलें: मंदिर से ट्रस्ट तक, हर मोर्चे पर चुनौती

संपादक/लेखक: राजीव शुक्ला

अयोध्या में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों समेत सभी वकीलों ने कल एक जुलूस निकाला और चंपतराय पर एफआईआर की मांग की। वकीलों का कहना है कि चढ़ावा चोरी में छोटी मछलियों को तो जाल में फांस लिया गया है लेकिन चंपतराय जो इस केस का अहम हिस्सा हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वकीलों का कहना है कि चंपतराय को बचाने की कोशिश की जा रही है जब कि मुख्य आरोपी चंपतराय ही हैं। उधर अयोध्या के वकीलों ने एक स्वर में कहा है कि राम मंदिर चंदा चोरी के जितने भी आरोपी हैं उनका मुकदमा कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। राम मंदिर आंदोलन का चेहरा, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय।

राम मंदिर का शिलान्यास से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक, हर बड़ी तस्वीर में वो सबसे आगे दिखे। पर अयोध्या में रामलला का मंदिर बन जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। उल्टा, जिम्मेदारी बढ़ने के साथ चुनौतियां भी कई गुना हो गई हैं। ट्रस्ट का पारदर्शिता संकट: 'चंदे का हिसाब' सबसे बड़ा मुद्दा- राम मंदिर के लिए 2019 से 2021 के बीच देश-दुनिया से 3500 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा इकट्ठा हुआ। मुश्किल क्या है?- विपक्ष, कुछ साधु-संत और सोशल मीडिया लगातार ट्रस्ट से चंदे का पूरा ऑडिटेड हिसाब मांग रहा है। आरोप लगते रहे कि जमीन खरीद में 'ओवर प्राइसिंग', दान में अनियमितता हुई। 2021 में अयोध्या के ही संतों ने जमीन घोटाले के आरोप लगाकर FIR तक की मांग की थी। चंपत राय ने बार-बार कहा कि सारा हिसाब CAG स्टाइल ऑडिट से होगा और वेबसाइट पर डाला जाएगा। पर 'कब' और 'कितना डिटेल' को लेकर सवाल आज भी पीछा नहीं छोड़ रहे। एक 3500 करोड़ के प्रोजेक्ट के महासचिव होने का मतलब है, हर पैसे का जवाब देना। यही उनका सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है। निर्माण की गति 1ह्य भक्तों की उम्मीद: 'अधूरा मंदिर' की किरकिरी - 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। देश ने माना मंदिर बन गया। असलियत क्या है?- प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ गर्भगृह और पहली मंजिल की हुई थी।

पूरा मंदिर परिसर, परकोटा, संग्रहालय, तीर्थ यात्री सुविधा केंद्र, पार्किंग अभी बन रहा है। ट्रस्ट का लक्ष्य 2025 के अंत तक मुख्य ढांचा पूरा करना है। मुश्किल: गर्मी में टाइल्स गर्म होना, बारिश में छत टपकने की खबरें, भीड़ प्रबंधन की अव्यवस्था। हर छोटी कमी पर सीधा निशाना महासचिव चंपत राय पर आता है। भक्त 500 साल इंतजार के बाद 'परफेक्ट' मंदिर चाहते हैं। एक ईट टेढ़ी दिखी तो ट्रोलिंग शुरू। निर्माण की टाइमलाइन और जनता की उम्मीद के बीच बैलेंस करना उनके लिए रोज की जंग है। अयोध्या के स्थानीय संतों से तनातनी- राम मंदिर आंदोलन में कई अखाड़े, मठ और स्थानीय संत शामिल थे। मंदिर बनने के बाद 'क्रेडिट' और 'कंट्रोल' को लेकर खींचतान सामने आई। तपस्वी छावनी, हनुमानगढ़ी और अन्य अखाड़ों के कई संत खुलकर कह चुके हैं कि ट्रस्ट 'एकतरफा' चल रहा है, स्थानीय आवाजों को जगह नहीं मिल रही। चंपत राय को दिल्ली-VHP बैकग्राउंड का 'बाहरी' बताकर भी हमले होते हैं। अयोध्या की धर्म सत्ता को साधना, बिना टकराव के सबको साथ लेकर चलना, ये राजनीतिक कुशलता से भी बड़ी चुनौती है। भीड़, वीआईपी कल्चर और आम भक्त का गुस्सा- प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या रोज 1-1.5 लाख श्रद्धालु देख रही है। दर्शन के लिए 6-8 घंटे की लाइन, वीआईपी पास का आरोप, टूट-फूट, सफाई।

जब कोई बुजुर्ग महिला लाइन में बेहोश होती है, तो वीडियो वायरल होता है और कैप्शन होता है: 'ये है चंपत राय का प्रबंधन। ट्रस्ट का काम मंदिर बनाना है, पर भीड़ का गुस्सा प्रशासन के साथ-साथ ट्रस्ट के महासचिव पर भी गिरता है। क्योंकि अब रामलला- चंपत राय का चेहरा बन चुका है। राजनीतिक निशाने पर- 2024 लोकसभा में भाजपा अयोध्या सीट हार गई। ये ट्रस्ट और VHP के लिए झटका था। विपक्ष का नैरेटिव बना: 'मंदिर दे दिया, पर रोजगार, महंगाई, अव्यवस्था नहीं दी।' इस हार का ठीकरा भी अप्रत्यक्ष रूप से मंदिर प्रबंधन और चंपत राय पर फूटा। अब हर चुनाव में अयोध्या का मॉडल सवालों में रहेगा। मंदिर बन गया, इम्तिहान शुरू हुआ- चंपत राय ने अपना जीवन राम मंदिर को समर्पित किया। 80+ की उम्र में भी वो रोज 16 घंटे काम करते हैं। पर आंदोलन का नेता होना आसान था, 500 साल के सपने का CEO होना सबसे कठिन है। अब लड़ाई कोर्ट में नहीं, कॉरिडोर में है। हिसाब, पारदर्शिता, निर्माण की गुणवत्ता, संतों को साधना और करोड़ों भक्तों की उम्मीद। जब तक अंतिम शिखर नहीं लग जाता और अयोध्या वर्ल्ड-क्लास तीर्थ नहीं बन जाती, तब तक उनकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। राम मंदिर बनाकर उन्होंने इतिहास रच दिया। अब उस इतिहास को कलंक-मुक्त रखना ही उनकी सबसे बड़ी अग्निपरीक्षा है।

लोकतंत्र की मूल आत्मा की रक्षा और भारत का भविष्य, भारत वैश्विक सिरमौर लोकतंत्र

विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में भारत का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने जिस दृढ़ता, परिपक्वता और संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र को अपनाया, वह विश्व के लिए प्रेरणा का विषय है। अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों, जातीय समूहों और परंपराओं से युक्त इतना विशाल राष्ट्र आज भी लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। यह केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सहिष्णुता, समन्वय और सामाजिक परिपक्वता का प्रमाण है।भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध कृति डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था भारत स्वयं में एक लघु विश्व है। वास्तव में भारत अनेक सभ्यताओं, संस्कृतियों और जीवन-शैलियों का जीवंत संगम है। भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां भाषाओं, रीति-रिवाजों, खान-पान, वेशभूषा, लोककला, लोकगीत, नृत्य, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक परंपराओं की अद्भुत विविधता होने के बावजूद राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण बनी हुई है। संविधान ने इस विविधता को सम्मान देते हुए सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए तथा भाषाई सौहार्द बनाए रखने के लिए हिंदी को राजभाषा और 22 भारतीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया।

डॉ.भीमराव रामजी आंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था

संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो वह सफल नहीं होगा; और यदि संविधान साधारण भी हो, किंतु उसे चलाने वाले अच्छे हों, तो वह सफल सिद्ध होगा।।यह कथन लोकतंत्र में नागरिकों और जनप्रतिनिधियों की नैतिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। भारत की सामाजिक संरचना अत्यंत जटिल होते हुए भी समन्वयवादी रही है। यहां ग्रामीण और शहरी जीवन, संयुक्त और एकल परिवार, विभिन्न जातीय एवं सांस्कृतिक समूह, जनजातीय समाज तथा आधुनिक जीवनशैली समानांतर रूप से विकसित हुए हैं। अनेक सामाजिक अंतर्विरोधों के बावजूद भारतीय लोकतंत्र ने संवाद, संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान खोजने का निरंतर प्रयास किया है।

महात्मा गांधी का विश्वास था

भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। वे ग्राम स्वराज, पंचायती राज, स्वावलंबन, सर्वोदय और मानवीय विकास को राष्ट्र निर्माण का आधार मानते थे। दूसरी ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक विज्ञान, औद्योगिकीकरण, बड़े बांधों और सार्वजनिक उपक्रमों को आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला मानते थे। इन दोनों दृष्टिकोणों के समन्वय से भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मार्ग अपनाया, जिसने लंबे समय तक विकास की दिशा निर्धारित की।

सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था- 'हमारी शक्ति हमारी एकता में निहित है। '।स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय उनकी अद्वितीय राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था, जिसने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया।।भारत धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विश्व का मार्गदर्शक रहा है। हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों की जन्मस्थली होने के साथ-साथ भारत ने इस्लाम, ईसाई, पारसी तथा अन्य सभी धर्मों को समान सम्मान दिया। भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप इसी समावेशी परंपरा का प्रतिबिंब है।

स्वामी विवेकानंद ने कहा था हम केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, बल्कि सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। विदेश नीति के क्षेत्र में भारत ने स्वतंत्रता के बाद गुटनिरपेक्षता को अपनाकर विश्व शांति, सह-अस्तित्व और स्वतंत्र निर्णय क्षमता का परिचय दिया। आज भी भारत की विदेश नीति राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक सहयोग और संतुलन पर आधारित है।डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम का कथन आज भी प्रासंगिक है यदि किसी देश को भ्रष्टाचार-मुक्त और सुंदर राष्ट्र बनाना है, तो उसके तीन प्रमुख स्तंभ हैं माता, पिता और शिक्षक। यह लोकतंत्र की सफलता में नैतिक शिक्षा और सामाजिक उत्तरदायित्व की महत्ता को दर्शाता है।आज भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, अंतरिक्ष, डिजिटल अर्थव्यवस्था, रक्षा, कृषि और वैश्विक कूटनीति के क्षेत्र में निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। इतनी विशाल जनसंख्या, बहुभाषिकता और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सफल संचालन भारत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है।

भारत की लोकतांत्रिक शक्ति केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि संविधान के प्रति आस्था, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र निर्वाचन प्रणाली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विविधता में एकता की भावना ही इसकी वास्तविक शक्ति है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मर्यादाओं, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। यदि हम विविधता में एकता की इस महान परंपरा को बनाए रखेंगे, तो भारत केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं, बल्कि सबसे सशक्त, समावेशी और प्रेरणादायक लोकतांत्रिक राष्ट्र भी बना रहेगा।

संजीव ठाकुर

दैनिक राशिफल

मेष आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नए अवसर सामने आएंगे।

वृषभ आज आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

मिथुन नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। व्यापार में लाभ होगा। दांपत्य जीवन मधुर रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन पर्याप्त आराम करें।

कर्क आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है।

सिंह आज आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। लंबे समय से रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। व्यापार में लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कन्या करियर में नई संभावनाएं सामने आएंगी। मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक मामलों में लाभ होगा। छात्रों के लिए दिन अनुकूल है।

तुला आज भाग्य आपका साथ देगा। नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक आज धैर्य और संयम से काम लें। किसी विवाद में पड़ने से बचें। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। कार्यक्षेत्र में मेहनत रंग लाएगी। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी।

धनु यात्रा के योग बन सकते हैं। करियर में नए अवसर मिलेंगे। व्यापार में लाभ होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मकर आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें सफलतापूर्वक निभाएंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। परिवार में किसी शुभ समाचार से खुशी का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। नौकरी और व्यापार में नए अवसर प्राप्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। निवेश करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। मानसिक तनाव कम होगा।

मीन आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रुके हुए कार्य पूरे होंगे। आर्थिक लाभ के योग हैं। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा।

आज का विशेष उपाय (3 जुलाई 2026)

भगवान शिव का जलाभिषेक करें और ' नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें। इससे मानसिक शांति, कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी।

समरसता का शताब्दी क्षण: जब सौ वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ और आस्था की आंखें छलक उठीं

कर्नाटक के चिक्कमगलूरु जिले के निदघट्टा गांव में स्थित श्री आंजनेयस्वामी मंदिर के कपाट जब लगभग सौ वर्ष बाद दलित समाज के लिए खुले, तब यह केवल एक मंदिर में प्रवेश की घटना नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज में सामाजिक समरसता, समानता और मानवीय गरिमा की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम था। यह वह क्षण था, जिसका इंतजार कई पीढ़ियों ने किया था। जिन लोगों के पूर्वज केवल मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ते थे, वे स्वयं पहली बार मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचे और अपने आराध्य के समक्ष सिर झुकाया। वर्षों से मन में दबे भाव जैसे एक साथ उमड़ पड़े। आंखों से बहते आंसू केवल भावुकता के नहीं थे, बल्कि उस लंबे इंतजार, पीड़ा, विश्वास और अंततः मिली स्वीकृति के प्रतीक थे।

भारत की संस्कृति का मूल भाव समरसता, सह-अस्तित्व और 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की भावना रहा है। हमारे धर्मग्रंथों में ईश्वर को सभी का बताया गया है। ईश्वर के दरबार में न कोई ऊंचा होता है और न कोई नीचा। फिर भी समय के साथ समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियां और भेदभाव की प्रवृत्तियां जन्म लेती गईं। छुआछूत जैसी अमानवीय प्रथा ने समाज के एक बड़े वर्ग को वर्षों तक सामाजिक और धार्मिक अधिकारों से वंचित रखा।

मंदिर, जो श्रद्धा और शांति के केंद्र माने जाते हैं, वहीं कुछ स्थानों पर लोगों के लिए बंद कर दिए गए। यह स्थिति केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी गहरा आघात थी। निदघट्टा गांव के दलित परिवारों की पीड़ा भी कुछ ऐसी ही थी। उनके बुजुर्गों ने जीवनभर मंदिर के बाहर से ही भगवान को प्रणाम किया। वे अपने बच्चों को भी यही बताते रहे कि मंदिर के भीतर जाना उनके लिए संभव नहीं है। कितनी ही पीढ़ियां इस व्यवस्था को अपनी नियति मानकर जीती रहीं। किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि समाज की परंपरा उनके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। उन्होंने अपनी आस्था को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अपनी इच्छा को मन के भीतर दबाकर रखा। उनके लिए भगवान कभी दूर नहीं हुए, परंतु भगवान तक पहुंचने का मार्ग अवश्य बंद रहा।

सोचिए, उन बुजुर्गों की मनःस्थिति कैसी रही होगी, जिन्होंने बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक मंदिर के बाहर खड़े होकर केवल घंटियों की आवाज सुनी, आरती की ध्वनि सुनी, लेकिन भीतर जाकर दर्शन करने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। कितनी बार उनके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि क्या भगवान भी उन्हें अपने द्वार पर बुलाना नहीं चाहते? फिर भी उन्होंने अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। उन्होंने शिकायत कम की, श्रद्धा अधिक रखी। यही उनकी सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी।

जब जिला प्रशासन की पहल पर दोनों समुदायों के बीच संवाद हुआ और आपसी सहमति से मंदिर के द्वार खोलने का निर्णय लिया गया, तब यह केवल प्रशासनिक सफलता नहीं थी, बल्कि सामाजिक चेतना की विजय थी। पुलिस सुरक्षा के बीच जब दलित समाज के लोग पहली बार मंदिर की चौखट पार कर रहे थे, तब उनके कदमों में संकोच भी था और आत्मविश्वास भी। जैसे ही उन्होंने भगवान आंजनेयस्वामी के समक्ष शीश नवाया, वर्षों से दबे हुए भावनाओं का बांध टूट गया। अनेक लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। उन आंसुओं में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि अपने आराध्य से मिलने की अनंत खुशी थी।

सौ वर्षों का इंतजार कितना लंबा होता है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है। एक व्यक्ति का पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन यहां तो कई पीढ़ियां गुजर गईं। जिन दादा-दादी ने मंदिर के बाहर से ही दर्शन किए, वे शायद यह दिन देखने के लिए जीवित भी नहीं रहे। उनके सपनों को उनके बच्चों और पोते-पोतियों ने पूरा होते देखा। उस समय निश्चित रूप से उनके मन में अपने पूर्वजों की स्मृतियां भी ताजा हुई होंगी। शायद उन्होंने मन ही मन यही कहा होगा कि काश, हमारे माता-पिता और दादा-दादी भी यह दिन देख पाते।

मंदिर में प्रवेश के बाद जिस प्रकार लोगों ने श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की, उससे यह स्पष्ट हो गया कि उनकी आस्था कभी कम नहीं हुई थी। उनके लिए मंदिर केवल एक भवन नहीं, बल्कि अपने भगवान का घर था। जब वर्षों बाद उस घर के द्वार खुले, तो उन्हें ऐसा लगा मानो उनका अपना परिवार उन्हें गले लगा रहा हो। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह आत्मसम्मान, समान अधिकार और आध्यात्मिक संतोष का अद्भुत संगम था।

यह घटना पूरे देश के लिए भी प्रेरणा का संदेश देती है। सामाजिक समरसता केवल कानून से नहीं आती, बल्कि समाज के भीतर संवाद, संवेदना और परस्पर सम्मान की भावना से विकसित होती है। जब समाज स्वयं परिवर्तन को स्वीकार करता है, तभी स्थायी बदलाव संभव होता है। निदघट्टा गांव ने यह संदेश दिया है कि पुरानी कुरीतियों को पीछे छोड़कर नई सोच के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है।

भारत में जातिगत भेदभाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जटिल रही है। औपनिवेशिक काल में भी सामाजिक विभाजनों को कई बार प्रशासनिक और राजनीतिक कारणों से और अधिक गहरा किया गया। हालांकि जाति व्यवस्था की जड़ें औपनिवेशिक शासन से पहले की सामाजिक संरचनाओं में भी मौजूद थीं। इसलिए समाधान किसी एक कालखंड को दोष देने में नहीं, बल्कि वर्तमान में समानता और भाईचारे को मजबूत करने में है। आज आवश्यकता इस बात की है कि संविधान की भावना, संतों के संदेश और भारतीय संस्कृति के मूल आदर्शों को व्यवहार में उतारा जाए। इस घटना ने यह भी सिद्ध किया कि परिवर्तन असंभव नहीं होता। यदि समाज संवाद के माध्यम से आगे बढ़े, तो वर्षों पुराने विवाद भी समाप्त हो सकते हैं। मंदिर के कपाट खुलने से किसी की आस्था कम नहीं हुई, बल्कि सभी की आस्था और अधिक मजबूत हुई। भगवान का दरबार जितना व्यापक होगा, समाज भी उतना ही मजबूत और समरस बनेगा।

आज निदघट्टा गांव का वह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक बन गया है। वहां बहने वाले आंसुओं ने यह बता दिया कि सम्मान और समानता का सुख कितना अनमोल होता है। सौ वर्षों से दबाई गई भावनाओं को आखिर अभिव्यक्ति मिल गई। जिन लोगों ने जीवनभर बाहर से हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया था, वे पहली बार भीतर जाकर दर्शन कर सके। उनके चेहरे की मुस्कान, आंखों की नमी और मन की शांति इस बात का प्रमाण हैं कि समरसता की राह कठिन अवश्य होती है, लेकिन जब समाज उस दिशा में कदम बढ़ाता है तो इतिहास बनता है। यह घटना केवल एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उस भारत की पहचान है जो भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, सम्मान और मानवता के मूल्यों को अपनाना चाहता है। यदि इसी भावना के साथ समाज आगे बढ़ता रहा, तो वह दिन दूर नहीं जब हर मंदिर, हर धर्मस्थल और हर हृदय के द्वार बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए खुले होंगे। यही सच्चे अर्थों में समरस भारत की पहचान होगी।

कांतिलाल मांडोत

उत्तर प्रदेश बन रहा है भारत का नया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं लॉजिस्टिक्स पावरहाउस

लखनऊ-उत्तर प्रदेश आज उस ऐतिहासिक परिवर्तन का साक्षी बन रहा है, जिसकी कल्पना कुछ वर्ष पूर्व तक कठिन प्रतीत होती थी। कभी कृषि प्रधान राज्य के रूप में पहचाना जाने वाला उत्तर प्रदेश अब इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल सेवाओं, डेटा सेंटर, रक्षा उत्पादन और आधुनिक औद्योगिक विकास का राष्ट्रीय केंद्र बनकर उभर रहा है। यह परिवर्तन केवल आंकड़ों और निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों युवाओं के सपनों, उद्यमियों की आकांक्षाओं और एक विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को साकार करने की यात्रा है। इस परिवर्तन के केंद्र में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में स्थापित सुशासन, जीरो टॉलरेंस की नीति, निवेशक-अनुकूल वातावरण तथा कानून व्यवस्था की नई संस्कृति है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश ने जिस गति से औद्योगिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं, उसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। आज उत्तर प्रदेश केवल निवेश का विकल्प नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा मंच बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य के विकास का आधार सुशासन और सुरक्षा को बनाया। उनका स्पष्ट मानना रहा है कि जहां कानून का राज होगा, वहीं निवेश आएगा और वहीं रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इसी सोच के अनुरूप प्रदेश में अपराध और माफिया तंत्र के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा निवेशकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में उद्योग जगत का विश्वास अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। आज देश और दुनिया के बड़े औद्योगिक समूह उत्तर प्रदेश को अपने विस्तार और निवेश के लिए सबसे उपयुक्त गंतव्य मान रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत उसकी जनसंख्या नहीं, बल्कि उसकी युवा शक्ति है। लगभग 25 करोड़ की आबादी वाला यह राज्य देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार होने के साथ-साथ सबसे बड़ा मानव संसाधन केंद्र भी है। लाखों इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ, आईटी प्रोफेशनल और कुशल कार्यबल राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देने के लिए तैयार हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेंटर और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां उत्तर प्रदेश को अपनी भविष्य की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बना रही हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। आज देश में निर्मित होने वाले लगभग 60 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब के रूप में स्थापित हो चुके हैं। मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बनाई है। विश्व की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों ने यहां उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, जिससे प्रदेश में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार हुआ है।

सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैन्युफैक्चरिंग (ईएसडीएम), उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की औद्योगिक नीतियां निवेशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही हैं। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिल रही है और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी मजबूती मिल रही है।

इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के साथ-साथ उत्तर प्रदेश आज देश के सबसे मजबूत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क वाले राज्यों में भी शामिल हो चुका है। राज्य में निर्मित नौ एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और अन्य प्रमुख मार्गों ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है। इन परियोजनाओं ने न केवल आवागमन को सुगम बनाया है, बल्कि उद्योगों के लिए परिवहन लागत और समय में भी उल्लेखनीय कमी लाई है।

डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, औद्योगिक कॉरिडोर, मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क और आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो एशिया की सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है, प्रदेश को वैश्विक व्यापार और निवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अतिरिक्त राज्य में पांच अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की उपलब्धता उत्तर प्रदेश को देश के सबसे बेहतर कनेक्टेड राज्यों में शामिल करती है। आज उत्तर प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारत के केंद्र में स्थित नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों, बाजार व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखलाओं के केंद्र में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यदि कोई उद्योग देश के प्रत्येक छह उपभोक्ताओं में से एक तक पहुंच बनाना चाहता है, तो उत्तर प्रदेश उसके लिए सबसे प्रभावी प्रवेश द्वार है। विशाल उपभोक्ता आधार, प्रचुर मानव संसाधन, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेश-अनुकूल वातावरण राज्य को विशेष प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं। 'निवेश मित्र' पोर्टल, सिंगल विंडो सिस्टम, समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया, समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर और एंड-टू-एंड निवेशक हैंडहोल्डिंग जैसी व्यवस्थाओं ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। राज्य सरकार ने स्पष्ट संदेश दिया है कि निवेशकों को केवल अनुमति नहीं, बल्कि साझेदारी और सहयोग का वातावरण प्रदान किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से प्रदेश ने निवेश आकर्षित करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विभिन्न देशों और राज्यों में आयोजित रोड शो तथा निवेशक संवाद कार्यक्रमों ने उत्तर प्रदेश को वैश्विक निवेश मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। आज दुनिया की अग्रणी कंपनियां उत्तर प्रदेश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही हैं।डेटा सेंटर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा, फिनटेक और डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश तेजी से उभर रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा देश के प्रमुख डेटा सेंटर हब बन चुके हैं। डिजिटल अवसंरचना में हो रहे निवेश से प्रदेश नई अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश निवेश का गंतव्य भर नहीं है, बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर एक ऐसा मंच है जहां उद्योग, नवाचार, प्रतिभा और अवसर एक साथ मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियां आने वाले वर्षों में भारत की विकास यात्रा को नई दिशा देने वाली हैं।

-जयेन्द्र सिंह, सहयुक्त संपादक

पाकिस्तान में भड़कता आंतरिक विद्रोह

पाकिस्तान में इन दिनों अंदरूनी हालात काफी खराब चल रहे हैं। एक ओर पाकिस्तानी हुकूमत देश में बेकाबू होती महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही है, तो दूसरी ओर वर्षों से जबरन कब्जा किए हुए बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में लोगों ने पाकिस्तान से आज़ादी का बिगुल बजा दिया है। इससे पाकिस्तानी हुकूमत अपने ही देश में दो तरफ़ा घिरी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान वर्षों से भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा देने और नफरत फैलाने में देश के विकास की बड़ी राशि खर्च करता आया है। परिणामस्वरूप, पाकिस्तान के प्रमुख शहरों को छोड़कर समूचे देश में अस्थिरता और असंतोष का माहौल दिखाई देता है।

बंटवारे के बाद पाकिस्तानी सेना और हुकूमत ने अपनी सीमाओं से लगे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके जैसे क्षेत्रों का बंदूक के बल पर अपने राज्य में विलय तो करवा लिया, लेकिन इन क्षेत्रों में लंबे समय से पाकिस्तान सरकार के विरुद्ध असंतोष बना हुआ है। आज भी इन क्षेत्रों में पाकिस्तान विरोधी आंदोलन समय-समय पर देखने को मिलते हैं। पाकिस्तानी सेना और सरकार के विरुद्ध इन क्षेत्रों में लंबे समय से संघर्ष जारी है। पाकिस्तान इस समय गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में पनपते आतंकवाद को भी बड़ा झटका लगा है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न आतंकी गुट अपने-अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे हैं। कट्टरपंथी संगठन, धार्मिक नेता और आतंक के सरगना एक-दूसरे के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष में पाकिस्तान में बढ़ी हत्याओं और आतंकी घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि जिन तत्वों को कभी दूसरे देशों के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, वही आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। आतंकवाद का वही बीज अब विशाल वटवृक्ष बनकर पाकिस्तान की सत्ता और उसे संरक्षण देने वालों के लिए संकट का कारण बन गया है।

पाकिस्तान के अंदरूनी हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पर कार्रवाई तथा चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठे विवादों ने राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया है। आम जनता की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने वाला कोई मजबूत नेतृत्व दिखाई नहीं देता। जो राजनीतिक दल कभी एक-दूसरे के कट्टर विरोधी थे, वे आज सत्ता के समीकरणों के कारण साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसे में पाकिस्तान की आम जनता की सुध लेने वाला कोई प्रभावी नेतृत्व दिखाई नहीं देता। विदेशों में अपनी साख बचाने के लिए पाकिस्तानी सेना आज़ादी की मांग कर रहे बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के लोगों के आंदोलनों को बलपूर्वक दबाने का प्रयास कर रही है। किंतु यदि जनता का असंतोष और सरकार की कठोर नीतियाँ इसी प्रकार जारी रहीं, तो पाकिस्तान के सामने भविष्य में और भी गंभीर आंतरिक चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं।

अरविंद रावल

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु 692.62 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में पशु रोग नियंत्रण योजना हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 06 करोड़ 92 लाख 62 हजार मात्र रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह धनराशि अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत स्वीकृत की गयी है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को योजना के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। शासनादेश में कहा गया है कि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में भारत सरकार समय-समय पर निर्गत शासनादेश/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र-निधि वर्मा

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत ऋण मूलधन भुगतान हेतु 10707.00 लाख रुपये मंजूर

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन की अदायगी हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जून 2026 की अवधि के लिए 10707.00 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस संबंध में अवस्थापना विकास विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। यह धनराशि विशेष रूप से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के लिए वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण के मूलधन के भुगतान के लिए आवंटित की गई है। शासनादेश के अनुसार यह राशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जारी की जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-सरिता वर्मा

कार-स्कूटी की आमने-सामने भिड़ंत में युवक की मौत, दो गंभीर घायल

लालगंज (रायबरेली)। लालगंज-फतेहपुर मुख्य मार्ग पर बाईपास के निकट मंगलवार रात कार और स्कूटी की आमने-सामने हुई भीषण टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार, अम्बारा पश्चिम गांव निवासी 25 वर्षीय अभिषेक वाजपेई पुत्र हरिवंश वाजपेई लालगंज से अपने घर लौट रहे थे। वहीं पूरे जबर गांव निवासी 20 वर्षीय सचिन उर्फ दिव्यांश पुत्र रामसुमेर और उदवामऊ गांव निवासी अंकित स्कूटी से लालगंज से अपने घर जा रहे थे। बाईपास के पास दोनों वाहनों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पीआरवी पुलिस ने गंभीर रूप से घायल अभिषेक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। आरोप है कि सचिन करीब आधे घंटे तक घटनास्थल पर ही पड़ा रहा। बाद में परिजन उसे बाइक से अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अंकित को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, जबकि अभिषेक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भी जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि यदि सचिन को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया होता, तो उसकी जान बच सकती थी।प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच की जा रही है।

अनियंत्रित बाइक सीएनजी ऑटो से भिड़ी, युवक गंभीर

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के उदवावामऊ गांव के निकट जगतपुर भिचकौरा मोड़ पर बृस्पतिवार को तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे सीएनजी ऑटो से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि ऑटो में सवार सभी यात्री सुरक्षित बच गए। अम्बारा पश्चिम गांव निवासी दुर्गेश (38) पुत्र राजाबाबू बाइक से अपनी मौसी के घर से वापस लौट रहे थे। जगतपुर भिचकौरा मोड़ स्थित नहर पुलिया के पास उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे सीएनजी ऑटो से भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।राहगीरों ने एंबुलेंस के जरिए घायल दुर्गेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

सूचना

करोड़ों विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी सौगात

● ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के कुशल प्रबंधन और वित्तीय अनुशासन से बिना टैरिफ बढ़ाए उपभोक्ताओं को राहत देना सरकार की बड़ी उपलब्धि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊर्जा सुधारों की सोच और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन का परिणाम, उत्तर प्रदेश में सस्ती और विश्वसनीय बिजली व्यवस्था मजबूत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यह निर्णय प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। लगातार सातवें वर्ष सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को यथावत रखा जाना उत्तर प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार, पारदर्शिता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा तथा आधुनिक विद्युत अवसंरचना के विकास का जो विजन सामने आया है, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारा है। आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी ऊर्जा राज्यों में शामिल है और बिजली उत्पादन, आपूर्ति, वितरण सुधार तथा उपभोक्ता सेवाओं के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दिया है, जबकि पिछले वर्ष यह 17,100 करोड़ रुपये थी। इस निर्णय से लाइफलाइन उपभोक्ताओं, ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों, निजी नलकूप संचालकों तथा ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं को पूर्ववत राहत मिलती रहेगी। यह सरकार की जनकल्याणकारी सोच और गरीब, किसान तथा आम उपभोक्ता के हितों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ए.के. शर्मा ने कहा कि यूपीईआरसी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 2,580 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी गैप के बावजूद बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। आयोग ने यह माना कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं राज्य के डिस्कॉम्स के पास उपलब्ध रेगुलेटरी सरप्लस और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन, दक्ष प्रबंधन तथा सुधारों का सकारात्मक परिणाम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। ग्रीन एनर्जी अतिरिक्त टैरिफ को भी पूर्ववत रखा गया है। साथ ही ईवी चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों एवं बैटरी ऐज ए सर्विस (बीएएएस) प्रदाताओं को विशेष प्रावधानों के तहत लाभ दिया गया है। इसके अलावा सोलर आवर्स (प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक) के दौरान ईवी चार्जिंग के लिए 20 प्रतिशत कम टैरिफ की व्यवस्था भविष्य की स्वच्छ ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखा है। प्रदेश में रिकॉर्ड विद्युत मांग की सफल आपूर्ति, ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क का विस्तार, तकनीकी सुधार, लाइन हानियों में कमी तथा उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता के कारण आज उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य केवल निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि बिजली को आम उपभोक्ता की पहुंच में बनाए रखना भी है। यही कारण है कि लगातार सात वर्षों से बिजली की दरों में वृद्धि किए बिना प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया है। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प और मुख्यमंत्रीयोगी आदित्यनाथ जी के विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र की यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार आने वाले समय में भी उपभोक्ता हितों की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, हरित ऊर्जा के विस्तार तथा आधुनिक एवं विश्वसनीय विद्युत व्यवस्था के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती रहेगी।

सम्पर्क सूत्र- प्रवीण मालवीय

तीन दिवसीय यूपीटीईटी-2026 की पहले दिन की परीक्षा एआई निगरानी में शांतिपूर्ण संपन्न-डॉ. प्रशांत कुमार

● 02 जुलाई को दो पालियों में 955 केंद्रों पर 6.84 लाख अभ्यर्थी शामिल, 15 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए

03 जुलाई को दो पालियां, 04 जुलाई को एक पाली में होगी परीक्षा, जारी रहेंगे कड़े इंतजाम

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः विज्ञापन संख्या 01/2026 शिक्षक पात्रता परीक्षा (2026) की लिखित परीक्षा तीन दिन 02, 03 व 04 जुलाई 2026 को आयोजित की जा रही है। गुरूवार को पहले दिन प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 12:00 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 02:30 बजे से 05:00 बजे तक प्रदेश के 60 जनपदों के 955 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण, पारदर्शी एवं नकलविहीन वातावरण में संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान आयोग में स्थापित एआई इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से उनकी, सदस्यगण, सचिव, परीक्षा नियंत्रक एवं उपसचिव की उपस्थिति में सभी परीक्षा केंद्रों की सघन निगरानी की गई। ए.आई. कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर सतत दृष्टि रखी गई। एआई की मदद से संदिग्धों की जाँच के पश्चात प्रथम पाली में 07 एवं द्वितीय पाली में 08 फर्जी परीक्षार्थी, जो दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहे थे, पकड़े गए। इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु उन्हें स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी केंद्रों पर परीक्षा सुचारू, शुचितापूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। पहले दिन की दोनों पालियों में कुल 8,07,636 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 6,84,614 यानी 84.76 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। महिला परीक्षार्थियों की उपस्थिति 84.69 प्रतिशत तथा पुरुष परीक्षार्थियों की उपस्थिति 84.86 प्रतिशत रही। परीक्षा के सफल संचालन में जिला एवं पुलिस प्रशासन का सक्रिय सहयोग मिला। डॉ. प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि तीन दिवसीय यूपीटीईटी-2026 के तहत कल 03 जुलाई को भी दो पालियों में तथा 04 जुलाई को एक पाली में परीक्षा आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि शेष दो दिनों की परीक्षाएं भी इसी प्रकार एआई निगरानी, शुचिता व सुरक्षा के उच्च मानकों के साथ संपन्न कराई जाएंगी। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं को ही प्रामाणिक मानें।

सम्पर्क सूत्र- धर्मवीर खरे

प्रदेश के 09 जनपदों में 11 गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 08 करोड़ 81 लाख 32 हजार रूपये की धनराशि स्वीकृत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रदेश के 09 जनपदों में 11 नवीन गो संरक्षण केन्द्रों के निर्माण हेतु 08 करोड़ 81 लाख 32 हजार रूपये की धनराशि द्वितीय किश्त के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय जनपद अमेठी के सेमरौता, भदोही के नारेपार, बदांयू के गुठैला, कुशीनगर के कोहरवलिया, कानपुर देहात के बम्हरौली घाट बागर, रायबरेली के हेवतहा नेवढ़िया और धूता, बांदा के जलालपुर बांगर, मिर्जापुर के खरिहट कला और बबुरा रघुनाथ सिंह तथा मथुरा के मगौरा में गो संरक्षण केन्द्रों की स्थापना में किया जाएगा। प्रत्येक केन्द्र हेतु 80.12 लाख रूपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा शासनादेश जारी करते हुए निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये है कि गो संरक्षण केन्द्रों हेतु निर्गत की गयी धनराशियों के नियम संगत व्यय, विवरण/उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा भौतिक प्रगति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग का होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि से वृहद गो-संरक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराने एवं केन्द्र के अग्रेतर संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिलाधिकारी की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप करते हुए व्यय विवरण सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र-निधि वर्मा

31 मार्च, 2026 तक स्वीकृत परियोजनाओं की टेण्डर प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरी कर कार्य प्रारम्भ करा दिया जाए

● नवीन परियोजनाओं की समस्त प्रक्रिया समय से पूरा करके आगामी नवम्बर तक कार्य शुरू करायें-जयवीर सिंह

पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की समीक्षा सम्पन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि चुनावी साल को देखते हुए उन्हें आवंटित निर्माण कार्यों को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ पूरा करें। लेट लतीफी पाये जाने पर कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 31 मार्च, 2026 तक जो परियोजनाएं उन्हें आवंटित हैं, उनकी टेण्डर की प्रक्रिया 10 जुलाई तक पूरा कराते हुए कार्य तत्काल शुरू करायें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि नई परियोजनाओं की समस्त प्रक्रिया पूरी कराते हुए आगामी नवम्बर में कार्य शुरू हो जाना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि ठेकेदारों का लंबित भुगतान 15 दिन के अंदर कर दिया जाए। पर्यटन मंत्री आज यहां पर्यटन भवन के सभागार में संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी ऐसी रणनीति बनाये, जिससे प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटकों का आगमन हो और रोजगार तथा स्थानीय लोगों को आमदनी के साधन सुलभ हो सके। उन्होंने ऐतिहासिक स्थलों के शिलालेख पर संबंधित स्थल का इतिहास, साइनेज तथा बारकोड लगाये जाए ताकि लोग उन स्थलों की महत्ता के बारे में जान सके। उन्होंने जनपदों में स्थापित जिला संस्कृति प्रोत्साहन परिषद को समस्त संसाधनों से लैस करते हुए 15 अगस्त तक क्रियाशील करने के निर्देश दिये। पर्यटन मंत्री ने हर जनपद में पर्यटकों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए टीसीआई को सक्रिय करने तथा पर्यटन स्थलों पर आवश्यक सामग्री सुलभ कराने की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया। इसके साथ ही उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने साफ तौर से कहा कि सिर्फ कार्ययोजना बनाने से अब काम नहीं चलेगा। कार्य योजना को धरातल पर उतारने का हरसंभव प्रयास किया जाए। उन्होंने परम्परा परियोजना के तहत टूरिस्ट केन्द्रों को अत्याधुनिक तरीके से निर्मित करने और भारतीय शैली में बनाने का सुझाव दिया, जिसमें वैदिक परम्परा की झलक मिल सके। साथ ही लंबे पेड़ लगाने का भी सुझाव दिया। जयवीर सिंह ने राजधानी में संस्कृति भवन की स्थापना के लिए शहीद पथ के आसपास उपयुक्त स्थल पर निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के लिए जिलाधिकारी लखनऊ से सम्पर्क करने के निर्देश दिये। इसके अलावा काकराबाद लखनऊ में 06 एकड़ भूमि में प्रस्तावित भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय के नवीन परिसर के लिए भूमि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने पर्यटन विभाग की स्वीकृत योजनाओं में टेण्डर प्रक्रिया समय से पूरा न करने पर कार्यदायी संस्थाओं को कठोर चेतावनी दी। समीक्षा से पूर्व उन्होंने संस्कृति विभाग द्वारा तैयार की गयी एकीकृत परियोजना निगरानी डैशबोर्ड का शुभारम्भ किया। इसके माध्यम से विभागीय कार्यों में पारदर्शिता जवाबदेही, वित्तीय अनुशासन एवं संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। जयवीर सिंह ने कहा कि निगरानी डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं का समयबद्ध एवं प्रभावी क्रियान्वयन, प्रशासनिक क्षमता एवं सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों एवं

विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी भी हो सकेगी। अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति तथा धर्मार्थ कार्य अमृत अभिजात ने कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों को सभी आवंटित कार्यों को निर्धारित समय में क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परखें। समीक्षा बैठक में महानिदेशक पर्यटन वेदपति मिश्र, विशेष सचिव एवं निदेशक मृदुल चौधरी, एमडी पर्यटन विकास निगम आशीष कुमार, विशेष सचिव संस्कृति संजय सिंह, निदेशक ईको पर्यटन पुष्प कुमार के0, पर्यटन सलाहकार जे0पी0 सिंह सहित कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

सम्पर्क सूत्र- केवल

राहत कार्यों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए-प्रमुख सचिव राजस्व

● बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तहसीलवार एवं ग्रामवार माइक्रो प्लान तैयार किया जाए-राहत आयुक्त

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः प्रदेश में संभावित बाढ़ की स्थिति के दृष्टिगत गुरूवार को दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रमुख सचिव, राजस्व अपर्णा यू. ने की तथा सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख सचिव अपर्णा यू. ने कहा कि बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रशासन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक के जीवन एवं सुरक्षा की रक्षा करना है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों के दौरान प्रभावित व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा प्रत्येक राहत शिविर में सम्मानजनक एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि संसाधनों का केवल आवंटन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक उपलब्धता, उपयोगिता तथा आवश्यकता के अनुरूप विश्लेषण करते हुए पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए प्रत्येक परिस्थिति में जनसामन्य को उचित सुविधाएं तथा सहयोग उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने पीएम गतिशक्ति पोर्टल सहित उपलब्ध तकनीकी प्लेटफॉर्म का प्रभावी उपयोग करते हुए समन्वित योजना बनाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राहत कार्यों में संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे बाढ़ प्रबंधन को केवल प्रशासनिक दायित्व न मानकर जनसेवा का महत्वपूर्ण अवसर समझें तथा समयबद्ध, समन्वित एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे संभावित बाढ़ से जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने कहा कि बाढ़ पूर्व तैयारियों में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी तथा सभी जनपद निर्धारित समय-सीमा में अपनी तैयारियां पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलाधिकारी नियमित रूप से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठकें आयोजित करें तथा बाढ़ तैयारियों की सतत समीक्षा करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए तहसीलवार एवं ग्रामवार माइक्रो प्लान तैयार किया जाए, जिसमें प्रत्येक संवेदनशील क्षेत्र की आवश्यकताओं एवं उपलब्ध संसाधनों का स्पष्ट विवरण अंकित हो। उन्होंने कहा कि सभी जनपद अर्ली वार्निंग सिस्टम से प्राप्त सूचनाओं और चेतावनियों को प्रभावी ढंग से प्रत्येक गांव तक विभिन्न संचार माध्यमों से त्वरित रूप से पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि आमजन को ससमय सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। उन्होंने सभी जनपदों में गृह सर्वेक्षण कराकर संवेदनशील परिवारों का अद्यतन डाटा तैयार करने तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से ग्राम स्तर पर सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बाढ़ संभावित जनपद में मॉडल फ्लड शेल्टर विकसित किए जाएं, जहां स्वच्छ पेयजल, शौचालय, प्रकाश, चिकित्सा, महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। डॉ. यशोद ने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में फर्स्ट रिस्पांडर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए प्रत्येक जनपद में प्रथम प्रतिक्रिया दलों को पर्याप्त प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण एवं आवश्यक संसाधनों से सुसज्जित किया जाए, ताकि आपदा की स्थिति में तत्काल एवं प्रभावी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद बाढ़ से संबंधित उपकरणों एवं मशीनरी का विस्तृत विवरण अद्यतन रखे तथा उनकी कार्यशीलता का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करें। ग्राम पंचायतों, आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों के माध्यम से व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाकर लोगों को बाढ़ के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियों से अवगत कराया जाए। राहत आयुक्त ने कहा कि बाढ़ के दौरान बड़े पैमाने पर विद्युत आपूर्ति बाधित होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सभी जनपदों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे राहत शिविरों, नियंत्रण कक्षों एवं आवश्यक सेवाओं का संचालन निर्बाध रूप से जारी रह सके। कार्यशाला में प्रो0 नवनीत कुमार, डॉ0 दीप नारायण पाण्डेय, रोहित कुमार तथा प्रदेश के बाढ़ संभावित जनपदों के अपर अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, आपदा विशेषज्ञ, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन तंत्र तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

सम्पर्क सूत्र- आशिया खातून

तहसील प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच गतिरोध बरकरार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। तहसील प्रशासन और अधिवक्ताओं के बीच चल रहा गतिरोध बृहस्पतिवार को भी समाप्त नहीं हो सका। बैसवारा अधिवक्ता एसोसिएशन का धरना लगातार जारी रहा। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो अधिवक्ता अनशन पर बैठेंगे। धरना स्थल पर आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री, राजस्व परिषद के अध्यक्ष समेत अन्य उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजकर मामले में हस्तक्षेप और कार्रवाई की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्रनाथ सिंह ने बताया कि प्रभारी तहसीलदार पर पत्रावलियों में मनमाने ढंग से आदेश पारित करने का आरोप लगाते हुए उनके स्थानांतरण की मांग की गई थी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिवक्ताओं ने तीन बार जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

उन्होंने कहा कि 5 जून को जिलाधिकारी ने मामले की जांच के लिए एसडीएम को जांच अधिकारी नामित कर रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन अब तक न तो जांच पूरी हुई और न ही कोई कार्रवाई की गई। इससे अधिवक्ताओं में भारी नाराजगी है। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. बिनय भदौरिया ने कहा कि यदि प्रशासन ने शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो धरना जारी रहेगा और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए अधिवक्ता अनशन शुरू करेंगे। धरने में शैलेश त्रिवेदी, ज्योतिरेंद्र मिश्र, सीबी सिंह, दलबहादुर सिंह, वीरेंद्र चौहान, शिवशंकर पांडेय, घनश्याम यादव, राजबहादुर मौर्य, संजय अवस्थी, विनोद मौर्य, वीरेंद्र वर्मा, अशोक शुक्ला, पंकज मिश्रा, शेर बहादुर यादव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे।

सूचना निदेशक ने पत्रकार बन्धुओं के हितार्थ उठाया महत्वपूर्ण कदम

● आयुष्मान कार्ड प्राप्त करना अब हुआ और आसान

पत्रकार बन्धुओं की सुविधा के लिए जल्द ही नया पोर्टल होगा शुरू

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः सूचना निदेशक विशाल सिंह ने बताया कि पत्रकार बन्धुओं के हितार्थ महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है। अब पत्रकार बन्धुओं को आयुष्मान कार्ड और आसानी से प्राप्त हो सकेंगे। उन्होने बताया कि जिन पत्रकार बन्धुओं ने आयुष्मान कार्ड के लिए अपना आवेदन किया है और कतिपय कारणों से उनका कार्ड नहीं बन पाया है, वह इमदमपिबपंतलण्दींण्हवअण्पद पोर्टल पर अपने कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते है। पोर्टल पर नाम प्रदर्शित होने पर किसी भी प्रकार के संसोधन के लिए संबधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में सम्पर्क स्थापित कर संसोधन भी करा सकते है। उन्होने यह भी बताया कि जिन पत्रकार बन्धुओं ने अभी तक आयुष्मान कार्ड के लिए अपना आवेदन नहीं किया है या आवेदन किया है और उनका कार्ड नहीं बना है, इसके समाधान हेतु शीघ्र ही ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया जायेगा। पोर्टल शुरू होने के पश्चात पत्रकार बंधु अपने जनपद के जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से पोर्टल पर अपना आवेदन उपलब्ध करा सकेंगे। पोर्टल प्रारम्भ होने की सूचना तत्काल उपलब्ध करा दी जाएगी।

सम्पर्क सूत्र-महेन्द्र कुमार

विधिक सहायता एवं सशक्तीकरण शिविर, वंचितों को मुख्यधारासे जोड़ने की अनूठी पहल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊः राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के संरक्षण तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी, वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक ऐतिहासिक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निवास कर रहे समस्त विस्थापित, अनुसूचित जनजाति, वनवासी व इसी प्रकृति के अन्य विशेष श्रेणी के ऐसे समुदाय जो वन विभाग एवं प्रशासन के साथ वर्षो से अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रहे हैं, को मुख्यधारा से जोड़ना एवं उनके मूलभूत अधिकारों को संरक्षित करना है। उक्त पहल की शुरुआत जनपद बिजनौर से की गई है, जहां 01 जुलाई को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के उद्देश्यों के अनुरूप, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर के सहयोग से विस्थापित मछुआरा समुदाय को लाभान्वित करने हेतु विधिक सहायता एवं सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर का मुख्य लक्ष्य प्रशासन और विस्थापित समुदाय के बीच की दूरी को समाप्त करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे व्यक्ति न केवल अपने अधिकारों और संबंधित कानून के बारे में जागरूक हों बल्कि उन्हें सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त हो। यह विधिक साक्षरता शिविर समग्र विद्यालय, ग्राम-नवलपुर बैराज जनपद बिजनौर में आयोजित किया गया, जिसमें डॉ. मनु कालिया, सदस्य सचिव, उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ, संजय कुमार-टप्प् जनपद न्यायाधीश, बिजनौर, जसजीत कौर, जिलाधिकारी बिजनौर, स्वाती चंद्रा, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डॉ. के.जी. सिंह पुलिस अधीक्षक बिजनौर, रणविजय सिंह, मुख्य विकास अधिकारी बिजनौर, जयसिंह कुशवाहा डी.एफ.ओ. बिजनौर, रितु रानी एस.डी.एम. बिजनौर, आलोक वर्मा, पी.डी. (डी.आर.डी.ए.) बिजनौर के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतिभाग किया और उनके द्वारा विस्थापित मछुआरा समुदाय से जुड़े व्यक्तियों के अलावा अन्य जनमानस को भी उनके अधिकारों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर एक विशेष लोक अदालत का भी आयोजन किया गया जिसमें सुलह समझौते के आधार पर 20 मामलों का निस्तारण किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ विस्थापित समुदाय के सबसे कमजोर सदस्य तक सीधे पहुंचाया जा सके, संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा शिविर समापन की तिथि से 15 दिन के भीतर लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित करते हुए उन्हें राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान कराया

जाएगा, जिसकी विस्तृत आख्या प्रशासन द्वारा सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिजनौर को उपलब्ध कराई जाएगी जो उसे उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अग्रसारित करेंगे। शिविर स्थल पर भी नागरिकों द्वारा अपनी समस्याओं से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया गया जिसके समाधान हेतु अधिकारियों द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया। यह भी प्रस्तावित किया गया कि विस्थापित शरणार्थियों द्वारा निवासित अन्य 04 कॉलोनी जिनमें घासी वाला, हेमराज, चांदपुरा, धर्मनगरी शामिल हैं, में भी ऐसे शिविर का आयोजन किया जाएगा।

सम्पर्क सूत्र- अमरेश कुमार

संक्षिप्त खबरें

राजू डेंट पेंट वर्कशॉप के पास में लगी भीषण आग

लुधियाना- फोकल प्वाइंट 6 फेस में रोड पर पेट्रोल पंप के नजदीक भीषण आग लगने के कारण हुआ बहुत ही क्षतिग्रस्त पल्स डेंटिंग पेंटिंग के वर्कशॉप के मालिक राजू जी ने बताया कि सरकारी जगह पर गैर व्यवसाय करने के कारण बहुत ही भीषण आग लग गई जिसके कारण आसपास के लोगों में डर का माहौल देखने को मिला उन्होंने यह भी बताया कि यह जो भीषण आग लगी है नजदीक पेट्रोल पंप भी है और कुछ ही दूरी पर नजदीकी जीवन नगर पुलिस चौकी स्थित है आग लगने के कारण लोगों में कोहराम मच गया और लोगों ने तुरंत ही मौके पर फायर ब्रिगेड को सूचित किया सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम जोरों शोर से कुछ ही मिनट में वहां पहुंचकर आग बुझाने का पूरा प्रयास करते हुए आग को काबू करते सफल नजर आये इस आग को काबू करने में सबसे ज्यादा योगदान डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप के मालिक राजू जी के माध्यम से सफल हुआ आसपास के लोगों ने पर यह ऑब्जेक्शन लगाते नजर आए कि यह जो जगह है यहां कई वर्षो से अनलीगल तरीके से यह व्यवसाय किया जा रहा है पर यहां के प्रशासन को कोई फिक्र नहीं है जनता जनार्दन ने यह भी बताया कि यहां पर घर पर रहने वाले लोगों की संख्या भारी मात्रा में है अगर यह आज को फायर ब्रिगेड के माध्यम से काबू नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा रहने वाले लोगों का क्षतिग्रस्त हो सकता था लोगों का यह भी कहना है कि यहां के प्रशासन और कॉरपोरेशन पर मुद्दा उठाते कहा कि यह जो इनलीगल तरीके से व्यवसाय किया जा रहा है सरकारी जमीन पर इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए।

दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में मतदाता सत्यापन बना 'पहेली', एक ही मकान नंबर पर रह रहे कई परिवार

नई दिल्ली। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के मतदाता रिकार्ड को ठीक करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दशकों से जारी पलायन, परिवारों का बंटवारा व एक ही पते पर कई-कई मकान बन जाना इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। दिल्ली में इस समय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है, जिसके तहत 13,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तंग गलियों और तेजी से बदलते इलाकों के बीच मतदाताओं को ढूंढना किसी भूलभुलैया को पार करने जैसा हो गया है। नियम के मुताबिक एक मकान नंबर एक ही संपत्ति की पहचान होता है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की गीता कालोनी के ''रानी गार्डन'' इलाके में कहानी बिल्कुल उलट है। यहां एक ही मकान नंबर दो या तीन अलग-अलग संपत्तियों पर लिखा हुआ है। 2016 से इस इलाके को संभाल रहे बीएलओ बांके लाल बताते हैं, 'कई घर ऐसे हैं जहां दो तीन संपत्तियों पर एक ही नंबर दर्ज है, क्योंकि मालिकों ने बाद में उसी प्लाट पर या पास में दूसरा मकान बना लिया। जब हम सत्यापन के लिए जाते हैं, तो वे कहते हैं कि दोनों घर एक ही परिवार के हैं। इससे भारी भ्रम की स्थिति पैदा होती है।' रानी गार्डन की शुरुआत करीब 325 झुग्गियों (ए-1 से ए-325) से हुई थी। समय के साथ परिवार बढ़े, शादियां हुईं, जमीनें बिकीं और बंटवारे हुए, लेकिन कागजों पर मकान नंबर वही पुराने चलते रहे।

पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने की कोशिश पर सिख नाराज, विदेश मंत्रालय से की बड़ी अपील

नई दिल्ली। पाकिस्तान में फारूखाबाद में 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब के भवन को गिराने के प्रयास किया गया। कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचा है। इससे सिखों में भारी नाराजगी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) ने नाराजगी जताते हुए इस मामले को भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि इस गंभीर मामले को तत्काल पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह काहलों ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि फारूखाबाद स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की 125 वर्ष पुराने भवन को गिराने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मामला है।डीएसजीएमसी एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से मुलाकात कर पूरे मामले से उन्हें अवगत कराया। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें यह भी बताया कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अक्सर सिख समुदाय पर हमलों और अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। हाल ही में पाकिस्तान में एक गुरुद्वारे के सेवादार और उनकी पत्नी की हत्या का मामला भी सामने आया था। इसके अलावा गुरुद्वारों पर हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो बेहद चिंता का विषय हैं।

मुज़फ्फरनगर में बंधुआ मजदूरों के कथित उत्पीड़न मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्वत:संज्ञान

● यूपी सरकार से दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विशेष निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा , जानें क्या है कारण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले में एक पेपर प्लेट निर्माण फैक्ट्री में बंधुआ मजदूरों के कथित उत्पीड़न और अमानवीय व्यवहार के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस प्रकरण को मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन से जुड़ा मामला माना है। मीडिया में प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, मुज़फ्फरनगर के मंडी गांव स्थित एक पेपर प्लेट फैक्ट्री में 12 मजदूरों को करीब डेढ़ वर्ष तक कथित रूप से बंधक बनाकर काम कराया गया। आरोप है कि उनसे देर रात तक लगातार काम लिया जाता था, जबकि उन्हें पर्याप्त भोजन, उचित मजदूरी और मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई जाती थीं। बताया गया कि पीड़ित मजदूरों में से एक किसी तरह फैक्ट्री से निकलने में सफल रहा और उसने तितावी थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने छापेमारी कर अन्य मजदूरों को भी फैक्ट्री से मुक्त कराया। मेडिकल जांच में कई मजदूरों के शरीर पर चोट, कटने के निशान, हड्डियां टूटने तथा लंबे समय तक शारीरिक प्रताड़ना के संकेत मिले हैं। पुलिस जांच में एक व्यक्ति की मृत्यु की भी पुष्टि हुई है। साथ ही यह जांच जारी है कि इस दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भी मौत तो नहीं हुई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा कि यदि मीडिया में प्रकाशित तथ्य सही पाए जाते हैं, तो यह मानवाधिकारों का अत्यंत गंभीर उल्लंघन है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने मुज़फ्फरनगर के जिलाधिकारी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मानक कार्यप्रणाली (SOP) तथा बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अनुरूप पूरे मामले की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि सभी मुक्त कराए गए मजदूरों का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाए तथा आयोग द्वारा 8 दिसंबर 2021 को जारी परामर्श के अनुसार उनके पुनर्वास और अन्य आवश्यक सहायता संबंधी कार्रवाई की जाए। 25 जून 2026 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पीड़ित मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा नेपाल के निवासी हैं। आरोप है कि उन्हें रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से रोजगार, नियमित वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री लाया गया था। फैक्ट्री पहुंचने के बाद कथित रूप से उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र छीन लिए गए ताकि वे अपने परिवारों से संपर्क न कर सकें। रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि मजदूरों को डराने और उनके भागने से रोकने के लिए पिटबुल नस्ल के कुत्तों का इस्तेमाल किया जाता था। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की निगरानी में मामले की जांच आगे बढ़ेगी। आयोग द्वारा मांगी गई रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और पीड़ित मजदूरों के पुनर्वास संबंधी निर्णय लिए जाने की संभावना है।

गैरकानूनी लॉटरी और सट्टे का धंधा करने वालों की गुंडागर्दी, खबर करने गए पत्रकार को पीटा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- गैरकानूनी लॉटरी और सट्टे का धंधा करने वाले शेरू नाम के एक बिजनेसमैन, उसके साथियों थंडू और राम कृष्ण अरोड़ा और 10,15 अन्य लोगों ने खबर देने गए एक पत्रकार को पीटा। वे 7000 रुपये हार गए और उससे 10000 भरवाए और एक खाली चेक और एक खाली कागज पर साइन करवाकर उससे जबरदस्ती माफी मंगवाई और वीडियो बनवाया। लुधियाना टिब्बा रोड पर शेरू नाम का एक आदमी बहुत ताकत से लॉटरी का धंधा करता है, जिसे पहले सेंट्रल स्रू ने 3 नंबर थाने के इलाके से भगा दिया था और उसका गैरकानूनी सट्टे का धंधा बंद करा दिया था। टिब्बा रोड पर उसकी दुकान है, लेकिन पिछले हफ्ते हमारे दारा सट्टे में एक भाई के तीन लाख रुपये हार गए। उस भाई ने हमसे बात की कि वह सुसाइड कर लेगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि वह किसी बात से न डरे। हम तुम्हें पुलिस कमिश्नर के सामने पेश करेंगे और उसकी गैरकानूनी दारा सट्टे की दुकानें भी बंद करा देंगे। मैं *पीड़ित पत्रकार स्टेट हेड पंजाब* *प्रसन्न विचार मैगज़ीन* शाम करीब 4:30 बजे उनकी दुकान पर रिपोर्ट करने और आस-पास देखने गया था। मैंने वहीं फोटो खींचनी और वीडियो बनाना शुरू कर दिया और उनके लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया और मुझे थप्पड़ मारने लगे और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद, मैंने उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक वहीं बैठाए रखा और उनके ही आदमी राम कृष्ण अरोड़ा ने मुझे उनसे बचाया और बाहर निकाला। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम किस अखबार के पत्रकार हो। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। उनका टीबा पुलिस स्टेशन 2 लाख रुपये महीने देता है। मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ। वे 5 मिनट में तुम्हारे खिलाफ लूट का केस कर देंगे। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैं अकेला था और मैंने वहीं किया जो राम कृष्ण अरोड़ा ने कहा। मैंने उनसे 7000 रुपये कैश और 10000 रुपये पेटीएम में देने को कहा। मैंने अपने दोस्त से उनके कहे अनुसार 1 लाख रुपये देने को कहा। बदले में उन्होंने मुझसे एक कोरा कागज और एक साइन मांगा। उन्होंने ब्लिंग चेक ले लिया। इन तीनों का पुलिस रिकॉर्ड पहले भी खराब रहा है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कतर से उपहार में मिले विमान में भरी उड़ान, बताया दुनिया का सबसे बेहतरीन विमान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कतर के शाही परिवार की ओर से उपहार में मिले बोइंग 747-8 में उड़ान भरी. इस जहाज को अपग्रेड कर एयर फोर्स वन 747 का रूप दिया गया है. ट्रंप ने इसे उड़ता हुआ ह्वाइट हाउस बताया है. ट्रंप ने इसे दुनिया का अब तक का सबसे बेहतरीन विमान बताया. वह नार्थ डकोटा की यात्रा के बाद ज्वाइंट बेस एंड्रयूस पर उतरे थे. ट्रंप ने कहा,''मेरा मानना है कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन व्यावसायिक विमान है. मैंने बोइंग से पूछा कि सबसे अच्छा विमान कौन-सा है. उन्होंने कहा कि यही सबसे बेहतरीन विमान है और आपको इसमें उड़ान भरने का मौका मिलेगा. मुझे भी इसमें यात्रा करने का सौभाग्य मिला है।' करीब 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 33 सौ करोड़ रुपये) मूल्य के इस विमान को कतर ने बिना किसी शर्त के ट्रंप को उपहार में दिया था. हालांकि इसको लेकर कानूनी, नैतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सवाल भी उठे हैं. अमेरिकी टीवी चैनल सीएनएन के मुताबिक इस विमान को सफेद, लाल और नेवी ब्लू रंगों से सजाया गया है. इसमें कई ऐसे बदलाव किए गए हैं, जिससे यह ट्रंप के निजी विमान जैसा दिखता है। ट्रंप ने कहा, 'अमेरिका के पास ऐसा विमान होना चाहिए. हमारा मौजूदा एयर फोर्स वन 35-36 साल पुराना है. जब उसे ऐसे नए विमानों के पास खड़ा किया जाता है, तो वह हमारे देश के स्तर के मुताबिक नहीं लगता है. हमें इस विमान पर गर्व है और देश को भी इस पर गर्व होना चाहिए. यह बेहद खूबसूरत है.'' उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका खुद ऐसा विमान बनाता, तो उस पर लागत बहुत आती. यह विमान हमें बहुत कम लागत में मिला है, क्योंकि यह हमारे सहयोगी देश कतर की ओर से उपहार है. मैंने बोइंग से पूछा कि सबसे बेहतरीन विमान किसके पास है. उन्होंने कहा कि कतर के पास. सच कहूं तो अमेरिका भी ऐसा विमान बनाने में शायद इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होता. कतर ने इस पर खुलकर खर्च किया है।''

'जिन लोगों ने दिया इस्तीफा वही चला रहे राममंदिर ट्रस्ट', केजरीवाल

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेसवार्ता कर अयोध्या रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर रखी बात। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया। केजरीवाल ने अयोध्या राम लाला राम मंदिर मामले में हो रही जांच को खाना पूर्ति बताया और कहा कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। आठ छोटे लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी भी पुलिस कस्टडी नहीं दी गई, यहां तक पुलिस ने कस्टडी तक नहीं मांगी और सीधे न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने कहा पूरी जांच पर लीपापोती हो रही है।केजरीवाल ने मंदिर निर्माण से लेकर मंदिर के लिए जमीन खरीद मामले में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और प्रधानमंत्री से सवाल किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उन्हें लेकर भी कहा जा रहा है कि वही आज भी मंदिर चला रहे हैं।केजरीवाल ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री किसे बचा रहे हैं और क्यों बचा रहे हैं। देश की आस्था पर सवाल उठ रहा है।

डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की 'चेतना' पहल से स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से रूबरू कराया जाएगा

●स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन को करीब से समझने का मौका मिलेगा - हिमांशु अग्रवाल

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पटियाला- डिप्टी कमिश्नर पटियाला डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने स्टूडेंट्स को सरकारी कामों, पंजाब सरकार की पब्लिक पॉलिसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की एक्टिविटी के बारे में जागरूक करने के मकसद से एक अनोखी पहल 'चेतना' शुरू की। आज पटियाला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में स्कूल ऑफ एमिनेंस फिलखाना के स्टूडेंट्स के लिए एक खास एजुकेशनल टूर ऑर्गनाइज़ किया गया। DC ने कहा कि इस पहल के तहत, स्टूडेंट्स को महीने के हर गुरुवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में ले जाया जाएगा ताकि वे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्रैक्टिकली समझ सकें और सिटीजन सर्विसेज़ के बारे में जानकारी ले सकें। इस दौरान स्कूल ऑफ एमिनेंस फिलखाना के क्लास ङ्क्षद्ध के 30 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिनमें 15 लड़कियां और 15 लड़के शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने स्टूडेंट्स से बातचीत करते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रोल, सरकारी ऑफिसों के कामकाज और लोगों को दी जाने वाली सर्विसेज़ के बारे में डिटेल में जानकारी दी। उन्होंने स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया और कहा कि इस तरह के एजुकेशनल विज़िट से न सिर्फ उनका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि वे ज़िम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने में भी मददगार साबित होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से कहा कि वे स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद अलग-अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे ष्टस्रूविंडो, सेवा केंद्र, फर्द केंद्र, तहसील ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस ब्यूरो और महिला पुलिस स्टेशन का दौरा कराएं। संबंधित अधिकारियों ने स्टूडेंट्स को हर डिपार्टमेंट के कामकाज, लोगों को दी जाने वाली सर्विसेज़ और

शिकायत निवारण सिस्टम के बारे में बताया। स्टूडेंट्स ने इस एजुकेशनल टूर को बहुत उपयोगी और ज्ञान बढ़ाने वाला बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों से उन्हें सरकारी सिस्टम को करीब से समझने का मौका मिला है, जो भविष्य में उनके पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत मददगार साबित होगा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्रीमती शालू मेहरा, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डॉ. रविंदर पाल सिंह शर्मा, नोडल ऑफिसर जगमीत सिंह (हेडमास्टर, गवर्नमेंट हाई स्कूल अरनेटू) और स्कूल के प्रिंसिपल श्री रजनीश गुप्ता की गाइडेंस और सुपरविज़न में स्टूडेंट्स को अलग-अलग ऑफिस ले जाया गया।

म्युनिसिपल कमिश्नर ने सीवर की सफाई और सड़क की मरम्मत के काम में तेज़ी लाने के दिए आदेश

● अधिकारियों को रोज़ाना फील्ड में जाने का निर्देश

बुड्ढा नदी और शहर के दूसरे अंदरूनी नालों की लगातार सफाई के आदेश जारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लुधियाना- मॉनसून की तैयारियों का रिव्यू करते हुए और यह पक्का करते हुए कि सभी ज़रूरी कदम पहले से उठाए जाएं, म्युनिसिपल कमिश्नर ओजस्वी अलंकार ने पूरे शहर में सीवर की सफाई और सड़क की मरम्मत के काम में तेज़ी लाने का आदेश दिया है। पूरे शहर में बुड्ढा नदी, अंदरूनी नालों और सीवर लाइनों की लगातार सफाई पक्का करने के लिए सख्त आदेश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को बुड्ढा नदी के किनारों को मज़बूत करने का भी निर्देश दिया गया है। ये आदेश बुधवार को सराभा नगर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ज़ोन ष्ठ में हुई एक पूरी रिव्यू मीटिंग के दौरान जारी किए गए। अधिकारियों को शहर के सभी डिस्पोज़ल पॉइंट पर जनरेटर सेट पक्का करने का निर्देश दिया गया है, ताकि बारिश के मौसम में पानी की निकासी में कोई रुकावट न आए। मीटिंग में जॉइंट कमिश्नर विनीत कुमार, जॉइंट कमिश्नर अमनप्रीत सिंह, जॉइंट कमिश्नर तपन भनोट, ज़ोनल कमिश्नर नीरज जैन, ज़ोनल कमिश्नर गुरपाल सिंह, ज़ोनल कमिश्नर जसदेव सेखों और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। म्युनिसिपल कमिश्नर अलंकार ने संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द यह सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया कि शहर भर में कोई भी सड़क की जाली या मैनहोल के ढक्कन टूटे या गायब नहीं हैं। लोगों को पीने के पानी की सप्लाई पक्का करने के लिए, अधिकारियों को सही क्लोरीनेशन पक्का करने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह, हेल्थ ब्रांच के अधिकारियों को शहर में कचरा रेगुलर उठाने और फॉगिंग पक्का करने का निर्देश दिया गया है। संबंधित

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे काफी संख्या में रेत के बोरे का इंतज़ाम करें, जिनका इस्तेमाल बारिश के मौसम में किसी भी इमरजेंसी में किया जा सके। म्युनिसिपल कमिश्नर अलंकार ने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सभी ब्रांचों को आपस में तालमेल बनाकर काम करने का निर्देश दिया गया है। स्टाफ को सख्त आदेश दिए गए हैं कि मानसून की तैयारियों के मामले में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़ोनल कमिश्नरों समेत सीनियर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे रोज़ाना अपने-अपने इलाकों का दौरा करें और यह पक्का करें कि पहले से सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

खान सर और महिला पत्रकार विवाद: दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मुकदमे को मध्यस्थता के लिए भेजा

● यह विवाद अंजना की ऑनलाइन शिक्षकों पर की गई टिप्पणी और खान सर द्वारा उनके बच्चों के स्कूल की जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़ा है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। शिक्षकों पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सामग्री के खिलाफ पत्रकार अंजना ओम कश्यप के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजना और फैसल खान (खान सर) सहित अन्य को संयम बरतने का सुझाव दिया। साथ ही मानहानि विवाद को दिल्ली हाई कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए भेज दिया। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि नुकसान तो हो ही चुका है और अब दोनों पक्ष स्थिति को केवल संभाल ही सकते हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान अंजना की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ऋषिकेश बरुआ ने रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि पोस्ट पूरी तरह से मानहानिपूर्ण थे। पीठ ने दोनों पक्षों को मौखिक रूप से सुझाव दिया कि आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आलोचना का स्तर सभ्य होना चाहिए। हालांकि, ऋषिकेश बरुआ ने तर्क दिया कि खान सर ने उस स्कूल का खुलासा कर दिया था जिसमें कश्यप के बच्चे पढ़ते हैं और उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने कहा कि स्कूल वगैरह के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी।

ज्ञानपुर रोड स्टेशन के प्लेटफार्म-2 पर बैरिकेडिंग न होने से हादसे का खतरा

गोपीगंज। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या-दो पर बैरिकेडिंग न होने से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। केडवड़िया रेलवे फाटक की तरफ से बैरिकेडिंग के अभाव में बाइक और कार सीधे प्लेटफार्म तक पहुंच जा रही हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। यात्रियों का कहना है कि प्लेटफार्म पर वाहनों की आवाजाही कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। ट्रेन आने-जाने के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। बुजुर्ग, महिलाएं व बच्चों को प्लेटफार्म पर चलने में दिक्कत होती है।स्थानीय लोगों ने रेलवे प्रशासन से तत्काल बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते व्यवस्था नहीं की गई तो बड़ा हादसा हो सकता है।इस संबंध में आरपीएफ इंस्पेक्टर दयाशंकर यादव ने बताया कि प्लेटफार्म संख्या-2 पर बैरिकेडिंग न होने की जानकारी स्टेशन मास्टर को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

'वैवाहिक विवादों में जीवनसाथी की निजी तस्वीरों को हथियार की तरह न करें इस्तेमाल', दिल्ली HC की सख्त चेतावनी

नई दिल्ली। वैवाहिक मुकदमों में जीवनसाथी की निजी तस्वीरों व अंतरंग सामग्री को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने पर चेतावनी देते हुए कहा कि अलग हो रहे जीवनसाथी के बीच एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में नहीं बदला जाना चाहिए। अदालत ने उक्त टिप्पणी यह नोट करते हुए की कि पहले पति ने पत्नी की निजी तस्वीरें और वीडियो कोर्ट रिकार्ड पर पेश कीं और बाद में पत्नी ने भी बदले की भावना से पति की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो कोर्ट रिकार्ड में पेश किए। दोनों की शादी 2022 में हुई थी। हालांकि, 2023 में पत्नी ने पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद, पति ने तलाक की अर्जी दायर की। बाद में पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि उसके पति ने कोर्ट रिकार्ड में कुछ ऐसी अंतरंग तस्वीरें पेश करके उसकी निजता के अधिकार का उल्लंघन किया है, जो उसने अपने डॉक्टर के साथ वाट्सएप चैट पर साझा की थीं।

पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये मंगवाते थे हथियार

● दिल्ली में पकड़े गए चार आतंकियों से पूछताछ में खुलासा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली को दहलाने की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए चारों आतंकी लंबे समय से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ड्रोन के जरिये जिगाना पिस्टल समेत कई देशों के विदेशी हथियार और ड्रग्स की खेप मंगवाकर उसे पंजाब आदि राज्यों में गैंग्सटरों व ड्रग्स तस्करों को बेचने का धंधा कर रहे थे। इंटरनेट मीडिया के जरिये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी गैंग्सटर शहजाद भट्टी के संपर्क में आने के बाद चारों देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो गए थे। केंद्रीय एजेंसियों द्वारा इंटरनेट मीडिया की मानिटरिंग में इनकी गतिविधियों के बारे में पता चलने के बाद आईबी की सूचना पर स्पेशल सेल ने इन्हें दबोच लिया। स्पेशल सेल के डीसीपी प्रवीण कुमार त्रिपाठी का कहना है कि गिरफ्तार आतंकियों में शुभदीप सिंह, पाकिस्तानी सीमा से महज तीन किलो मीटर दूर तरनतारन का रहने वाला है। वह ड्रोन के ज़रिये विदेशी पिस्टल और हेरोइन आदि ड्रग्स की खेप मंगवाता था। पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई हैंडलर्स और ड्रोन ऑपरेटरों से बातचीत के लिए वह पाकिस्तान के कई नंबर का इस्तेमाल कर रहा था। उसे पंजाब पुलिस भी ड्रग्स तस्करी के मामले में पहले गिरफ्तार कर चुकी है। गुरजंट सिंह भी सीमा से सटे तरनतारन का रहने वाला है। वह भी विदेशी नंबरों के ज़रिये आईएसआई हैंडलर्स के संपर्क में था। अपने चचेरे भाई साजन सिंह के साथ मिलकर वह ड्रोन के ज़रिए पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की खेप मंगवाता था। साजन सिंह, अमृतसर का रहने वाला है। वह भी आईएसआई हैंडलर्स से बातचीत करने के लिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। उसे भी पहले पंजाब पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया था। गगनप्रीत, फतेहगढ़ साहिब का रहने वाला है। वह इंटरनेट मीडिया के ज़रिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था।

बेटी की शादी में जमकर नाचे और गाए शैलेश लोढ़ा

● नहीं पहुंचा तारक मेहता का एक भी एक्टर, लोग बोले- जेठालाल को तो बुला लेते

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में वर्षों तक तारक मेहता का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले शैलेश लोढ़ा इन दिनों अपनी बेटी स्वरा लोढ़ा की शादी को लेकर चर्चा में हैं. स्वरा ने हाल ही में बेहद निजी समारोह में सात फेरे लिए, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. मुंबई के बांद्रा स्थित ताज लैंड्स एंड होटल में आयोजित इस शादी में परिवार और करीबी लोग ही शामिल हुए. समारोह के दौरान शैलेश लोढ़ा का गाना गाते और डांस करते हुए वीडियो भी सामने आया. हालांकि, इन वीडियोज से ज्यादा चर्चा इस बात की होने लगी कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का कोई भी कलाकार इस शादी में नजर क्यों नहीं आया।

जेठालाल को लेकर सोशल मीडिया पर उठे सवाल

शादी के वायरल वीडियो पर फैंस ने सबसे ज्यादा जिस बात पर प्रतिक्रिया दी, वह थी शो के कलाकारों की गैरमौजूदगी. कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए पूछा कि जेठालाल यानी दिलीप जोशी इस खास मौके पर क्यों नहीं दिखे. किसी ने लिखा, 'दोस्ती की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जेठालाल कहां हैं?' वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि दिलीप जोशी को इस समारोह का हिस्सा होना चाहिए था. सिर्फ दिलीप जोशी ही नहीं, बल्कि शो से जुड़े किसी भी कलाकार की मौजूदगी तस्वीरों या वीडियोज में नजर नहीं आई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं।

शैलेश लोढ़ा ने क्यों छोड़ा था शो, और क्या करती हैं बेटी स्वरा?

शैलेश लोढ़ा करीब 14 वर्षों तक 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' का अहम हिस्सा रहे. साल 2022 में उन्होंने शो को अलविदा कह दिया और बाद में उनकी जगह सचिन श्रॉफ को कास्ट किया गया. एक इंटरव्यू में शैलेश ने बताया था कि शो छोड़ने की वजह निर्माता असित मोदी के साथ हुए मतभेद थे. उनके

मुताबिक, जब उन्हें दूसरे शो 'गुड नाइट इंडिया' से जुड़ने का मौका मिला तो इस बात को लेकर उनसे अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वहीं, उनकी बेटी स्वरा लोढ़ा मनोरंजन जगत से दूर अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं. वह पेशे से लेखिका हैं और लाइमलाइट से दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं. स्वरा ने अपनी मां डॉ. स्वाति लोढ़ा के साथ मिलकर 54 Reasons Why Parents Suck! नाम की किताब भी लिखी है, जिसे युवाओं और अभिभावकों के रिश्तों पर आधारित माना जाता है. अब शादी की तस्वीरों के सामने आने के बाद स्वरा और शैलेश लोढ़ा दोनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं।